(वाद सं०–7754/4/11/2022)

13.09.2023

प्रसंगाधीन मामला उपकारा शेरघाटी, जिला–गया में संसीमित परिवादी, देवन्ती देवी उर्फ जीरवा देवी, के पुत्र, संजय यादव, से एक लाख रूपये माँगने तथा उक्त संसीमित कैदी के द्वारा इन्कार करने पर कारा कर्मियों द्वारा उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर, उसके मानवाधिकार हनन किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र की जाँच अनुमण्डल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया के द्वारा किया गया तथा जिला पदाधिकारी, गया द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उपकारा, शेरघाटी, गया के कक्षपाल आशीष कुमार, के विरूद्ध बंदी संजय यादव, से पैसा माँगने एवं उसके साथ मारपीट करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। जबकि धर्मनाथ राम, उच्च कक्षपाल एवं संतोष कुमार सिंह, कक्षपाल के द्वारा बंदी संजय यादव, के साथ मारपीट करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। इस सम्बन्ध अधीक्षक, उपकारा, शेरघाटी के आदेश के द्वारा दिनांक–21.11.2022 को आशीष कुमार, कक्षपाल, धर्मनाथ राम, उच्च कक्षपाल, एवं संतोष कुमार सिंह, कक्षपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। **तत्पश्चात उपरोक्त कारा कर्मियों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से निलंबन मुक्त करते हुए अधीक्षक, उपकारा, शेरघाटी के आदेशानुसार उक्त तीनों दोषी कारा कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार, दोषी जेल कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।**

उपरोक्त पर परिवादी से इस निर्देश के साथ प्रत्युत्तर की माँग की गई कि अगर परिवादी की ओर से सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (क्षेत्र), बिहार, पटना के प्रतिवेदन पर कोई प्रत्युत्तर दाखिल किया जाता है, तो उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त कर दिया जायेगा।

परिवादी की ओर से कोई प्रत्युत्तर राज्य आयोग को समर्पित नहीं किया गया और न ही प्रत्युत्तर दाखिल करने हेतु कोई सम्यावेदन ही दिया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (क्षेत्र), बिहार, पटना के प्रतिवेदन से संतुष्ट है।

अब जबकि परिवादी के पुत्र के साथ कारा में घटित घटना को सही पाकर तीन जेल कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की जा चुकी है तथा परिवादी की ओर से उक्त के सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (क्षेत्र), बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 09–05/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>उप सचिव</u>